न्यायालय समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 77/2016

प्रथम पक्षः– (1) दीप माला राय, पति– श्री ललन कुमार राय
साकिन+पोस्ट– रामनगर भरना,
थाना व अंचल– नौहट्टा,
जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) सुलेखा कुमारी पति– रंजित कुमार राय,
साकिन+पोस्ट– रामनगर भरना,
थाना व अंचल– नवहट्टा, जिला– सहरसा,
(2) बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड– नवहट्टा, जिला– सहरसा।

19.07.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ उपनिदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल अपील आवेदन के आलोक में दिनांक 05.09.2014 को किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 के आलोक में अभिलेख हस्तानंतरित होकर अग्रेतर कार्यवाही, सुनवाई व निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी दिनांक 17.06.2017 अर्थात करीब विगत दो वर्ष से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। उक्त तिथि के पश्चात् अपीलार्थी न तो कभी उपस्थित हुए और न ही उनके तरफ से किसी प्रकार का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद के निष्पादन में उनकी रूची समाप्त हो गयी है। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या– 02 के ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इस स्थिति में वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

अतः अपीलार्थी की रूचि वाद के निष्पादन में समाप्त होने और प्रतिवादी राज्य के ओर किए गए अनुरोध के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उपरथापक निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित को भेंजे।

लेखापित व शुद्धिकृत

जिला पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी

ज्ञापांक सहरसा 26 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 13.01.20

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख संख्या– 17/2012–13, दीपमाला राय बनाम सुलेखा कुमारी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।